कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स नं. 2511918, ई–मेल – rcs.coop@nic.in

क्रमांक/विपणन/2018/ 4211 अटल नगर, दिनांक :27 सितम्बर, 2018

प्रति,

उप/सहायक पंजीयक.
सहकारी संस्थाएं, (समस्त),
जिला .... (छ.ग.)

विषय :– खरीदी केन्द्रो में धान खरीदी कार्य में आने वाली कमी एवं अनियमितता पर नियंत्रण के संबंध में।

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 4–15/खाद्य/ 2018/29/2146 अटल, नगर दिनांक 30.08.2018 एवं क्र. /एफ 4–15/खाद्य/ 2018/29/2303 अटल, नगर दिनांक 17.09.2018.

3 OCT 2018

क्रमांक 9037
प्रमुख सचिव, खा.ना.आ.एवं उ.स. विभाग
दिनांक 3/10/18 2018

––000––

संदर्भ में अंकित पत्र दिनांक 30.08.2018 द्वारा जारी धान/मक्का उपार्जन नीति की कंडिका 19 में स्पष्ट किया गया है कि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की समस्त कार्यवाही एवं व्यवस्था जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के निरीक्षण, पर्यवेक्षण के अधीन सम्पन्न की जाएगी। धान उपार्जन कार्य मे संबद्ध सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत एवं शासित है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी नियम, 1962 में उल्लेखित प्रावधानों तथा इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्रों में सहकारिता विभाग के अमले द्वारा संस्थाओं के निगरानी/निरीक्षण/पर्यवेक्षण के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। धान खरीदी कार्य में परिलक्षित अनियमितताओं को त्वरित संज्ञान में लेते हुए अधिनियम/नियम/ दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अतः विगत वर्षों में धान उपार्जन के दौरान पूर्व में प्रकाश में आई शिकायतों की पुर्नावृत्ति को शासन/संस्थाहित में रोकने के लिए उपार्जन केन्द्रवार/समितिवार निगरानी/पर्यवेक्षण के लिए योजना बनाते हुए धान खरीदी से संबंधित रिपोर्ट/प्रतिवेदन संबंधित विभागीय अमले से निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए प्राप्त की जावे :–

1. धान खरीदी नीति के प्रावधानों के अनुरूप समिति में पुराने बारदाने की व्यवस्था हेतु मिलों की टैगिंग एवं पी.डी.एस. बारदाने की उपलब्धता की एन्ट्री समिति स्तर पर।
2. बारदाने का सुरक्षित रख–रखाव।
3. फड़ों में सुरक्षा के इंतजाम।
4. पंजीकृत किसान के रकबे में अन्य व्यक्तियों (कोचियों/बिचौलियों) के द्वारा धान विक्रय करने हेतु रकबा के दुरूपयोग पर रोक हेतु प्रयास।
5. धान उपार्जन कार्य हेतु संस्थाओं को विपणन संघ से प्राप्त प्रशासनिक/प्रासंगिक व्यय का नियमानुसार उपयोग किया गया है या नहीं। यदि संस्था द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक व्यय किया है, तो उस संबंध में अधिक व्यय के कारण सहित मदवार विवरण दिया जावे।

V. Imp. website में डालें, JS (G S)

समन्वय/5

U.S. NIC (Tec dir) ... 03/10/18

6. धान उपार्जन के दौरान संस्थाओं को उक्त कार्य हेतु विभिन्न सामाग्रियों/सेवाओं की आवश्यकता होती है, उक्त सामाग्रियों का क्रय भण्डार क्रय नियम के अनुसार किया गया है या नहीं।
7. शासन द्वारा जारी धान उपार्जन नीति का अनुपालन किया गया है या नही? नीति के जिन बिन्दुओं का अनुपालन नही हुआ है उसके संबंध में स्पष्ट विवरण दिया जावें। धान उपार्जन के दौरान संस्थाओं को उक्त कार्य हेतु विभिन्न सामग्रियों /सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो उस संबंध में अधिक व्यय के कारण सहित मदवार विवरण दिया जावे।
8. धान उपार्जन के दौरान समिति स्तर पर स्टॉफ एवं सीजनल कर्मियों की पर्याप्त व्यवस्था।
9. धान खरीदी हेतु धान की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किये गये थे या नहीं ?
10. उपार्जित धान के उठाव की कार्यवाही समय पर की गई या नहीं ? यदि नहीं की गई है तो जिम्मेदारी ?
11. अमानक धान के प्रकरण की विस्तृत जानकारी एवं इस संबंध में संस्था को यदि कोई हानि हुई है तो उसके कारण तथा यदि कार्यवाही की जानी हो तो जिम्मेदारी का निर्धारण किया जावें।
12. धान खरीदी कार्य में पायी गई किसी भी प्रकार की अनियमितता में यदि संस्था को हानि होना पाया जाता है तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58(बी) के अंतर्गत सहकारी संस्था को हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए नियमानुसार प्रतिवेदन तैयार किया जाकर इस धारा अंतर्गत पूर्व में जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
13. उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी जो निगरानी/निरीक्षण /पर्यवेक्षण अधिकारी की राय में आवश्यक हो।

उक्त निर्देशों के अतिरिक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17.09.2018 में प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जांजगीर–चांपा जिले के कचंदा खरीदी केन्द्र में 3732 क्विंटल धान की कमी खरीदी प्रभारी/कम्प्यूटर आपरेटरों द्वारा किसानों के नाम से फर्जी एण्ट्री कर कुल 09 व्यक्तियों द्वारा सुनियोजित तरीके से षडयंत्र कर अपराधिक कृत्य करते हुए राशि 72,64,962.00 रू. की आर्थिक क्षति संस्था/बैंक/शासन को पहुंचाये जाने तथा प्रकरण में संबंधितों के विरूद्ध धारा 420, 409, 467, 468, 120 बी के तहत अपराध थाना जैजेपुर में पंजीबद्ध किये जाने का उल्लेख संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) में किया गया है। इसके साथ ही गत् खरीफ विपणन वर्ष 2017–18 में एक प्रतिशत से अधिक धान की कमी 17 खरीदी केन्द्रो में पायी गयी कमी की जानकारी भी दी गयी है, जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :–

जिले का नाम	खरीदी केन्द्र संख्या	जिले का नाम	खरीदी केन्द्र संख्या
गरियाबंद	08	राजनांदगांव	01
बिलासपुर	03	जांजगीर–चांपा	01
बलरामपुर	02	बीजापुर	01
बलौदाबाजार	01		

समन्वय/6

संदर्भित पत्र दिनांक 17.09.2018 में खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 में **धान खरीदी के दौरान जांजगीर–चांपा जिले के कचंदा समिति जैसी घटना अन्य समितियों में न हो इस हेतु सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।** साथ ही गत् वर्ष एक प्रतिशत से अधिक कमी वाले 17 खरीदी केन्द्रों में कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन धान की खरीदी करने एवं उक्त खरीदी केन्द्रों में धान की कमी न हो इस हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया है।

अतः संदर्भित पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए तथा धान खरीदी कार्य में सभी आवश्यक सतर्कता बरतते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 में धान खरीदी कार्य का सूचारू संचालन हेतु उक्तानुसार निगरानी/निरीक्षण/ पर्यवेक्षण हेतु अपने अधिनस्थ विभागीय अमले की ड्यूटी लगायी जावे तथा यह भी ध्यान रखा जावे कि समस्त समितियां उसमें सम्मिलित हो सके। उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करते हुए प्रकाश में आयी अनियमितताओं की सूचना जिला कलेक्टर को दी जावे तथा ऐसे प्रकरणों की जानकारी विभाग के संभागीय कार्यालय को अविलंब दी जावे। विभागीय अमले को यह भी निर्देशित किया जावे कि उक्त बिन्दुओं पर पूर्ण प्रतिवेदन धान खरीदी सीजन समाप्त होने के 07 दिवस के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत करें। निगरानी/निरीक्षण/ पर्यवेक्षण से संबंधित प्रतिवेदनों को संस्था के अंकेक्षक को भी अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

27.9.18

(सुनील कुमार जैन)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/2018/ 5211 अटल नगर, दिनांक :27.09.2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।
3. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
5. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्या0 रायपुर।
7. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, (समस्त) संभाग।
8. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक समस्त।

उपरोक्त 06, 07 एवं 08 की ओर संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित करते हुए लेख है कि पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई पूर्वक पालन करते हुए तथा धान खरीदी कार्य में सभी आवश्यक सतर्कता बरतते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 में धान खरीदी कार्य का सूचारू संचालन सुनिश्चित किया जावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

27.9.18

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

समन्वय/7